भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3176

गुरूवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों के आगमन में वृद्धि

3176 श्री संजय सेठः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को दोगुना कर 20 मिलियन करने की कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वीज़ा नीति में किए गए सुधारों तथा ई-वीज़ा प्रसंस्करण की दक्षता में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार और निजी संचालकों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय का उपयोग भुगतान संतुलन को सुदृढ़ करने के लिए किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ङ) सुरक्षा, सफ़ाई और सेवा गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): वर्ष 2024 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) की संख्या 20.57 मिलियन तक पहुंच गई, जो प्रभावी रूप से 20 मिलियन के आंकड़ो को पार करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पर्यटन मंत्रालय ने इस वृद्धि को कायम रखने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या को बढ़ाने के लिए, अतुल्य भारत 2.0, वीजा नीति में सुधार, संशोधित स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के माध्यम से अवसंरचना का विकास एवं नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय से आरसीएस-उड़ान योजना जैसी कई प्रमुख रणनीतियों को लागू किया है। इसके अलावा, मंत्रालय पर्यटन नीतियों को आकार देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन, जी20, आसियान और ब्रिक्स जैसे वैश्विक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है। इसके अतिरिक्त, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत 100% केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों को विकसित करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय, विदेशों में अपने मिशनों/पोस्टों के माध्यम से, स्थानीय हितधारकों के साथ संवाद सत्र आयोजित करके और प्रतिष्ठित भारतीय अस्पतालों की श्रृंखला एवं विदेशों में स्थित उनके प्रतिस्पर्धियों के बीच संपर्क सुविधा प्रदान करके, भारत को चिकित्सा वैल्यू पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत की उन्नत, किफायती चिकित्सा सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा सहभागीदार देशों से मरीजों की आमद को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने हमारे मिशनों को पर्यटन संवर्धन के लिए देश-विशिष्ट पर्यटन संवर्धन रणनीतियों का विकास करने और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी है।

(ख): सरकार ने यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई वीजा संबंधी सुधार शुरू किए हैं:

(i) पर्यटन, व्यवसाय और चिकित्सा उद्देश्यों सहित 14 उप-श्रेणियों के तहत 172 देशों के नागरिकों के लिए अब ई-वीजा सुविधा उपलब्ध है।
(ii) दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों पर पूर्ण रूप से कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जाती है।
(iii) ई-वीज़ा 33 नामित हवाई अड्डों, 16 नामित बंदरगाहों और 02 भूमि पत्तनों के माध्यम से प्रवेश हेतु वैध है।
(iv) जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा सुविधा का विस्तार किया गया है।

(ग): वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लक्षित निवेशों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2,208.31 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाएं और प्रशाद के तहत 1,726.74 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर के प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए भारत सरकार की एसएएससीआई योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 3,295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई ।
(ii) पर्यटन और आतिथ्य निर्माण हेतु स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। वर्ष 2024 में, होटल और रेस्तरां में एफडीआई 11,490.18 करोड़ रु. तक पहुंच गया।
(iii) 1 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटलों, रोपवे और केबल कारों और प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर परियोजनाओं को 100,000 वर्ग मीटर के न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र के साथ विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थान या सम्मेलन स्थान या दोनों सहित, को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

(घ): वर्ष 2024 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) 2,93,033 करोड़ रु. ($35.016 बिलियन) तक पहुंच गई, जो वर्ष 2023 की तुलना में 10.14% की वृद्धि को दर्शाती है। भारत के सकल घरेलू

उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 के लिए 5.22% अनुमानित है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है और सेवा क्षेत्र के संतुलन को मजबूत बनाती है।

(ङ): सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समर्पित पर्यटक पुलिस की तैनाती और 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन (1800111363) का प्रचालन।
(ii) प्रशिक्षित पेशेवरों का एक पूल बनाने के लिए अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम और 'पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी' पहल का कार्यान्वयन।
(iii) आवासीय इकाइयों और सेवा प्रदाताओं के अनिवार्य/स्वैच्छिक वर्गीकरण और मान्यता के लिए निधि+ पोर्टल का उपयोग।

*****